

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट : न्याय आपके द्वार चीड़खेड़ा
पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-108/2017 रे0वाद
अन्तर्गत धारा:-53 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1. भंवर लाल पिता नानुराम जाट निवासी अडसीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. रतनलाल पिता नानुराम जाट निवासी अडसीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
वादीगण---

बनाम

1. श्री भैरूलाल पिता हीरा जाट निवासी अडसीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्री नाथु पिता हीरा जाट निवासी अडसीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. केशर पत्नि भागीरथ जी जाट निवासी अडसीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. श्रीमान् बैंक मेनेजर साहब, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा आशाहोली, तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा।


प्रतिवादीगण---

निर्णय

दिनांक: 21.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने विषयान्तर्गत वाद का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अडसीपुरा, पटवार हलका चीड़खेड़ा, तहसील सहाडा के बैरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1765 रकबा 0.02 है., आराजी संख्या 1766 रकबा 0.10 है., आराजी संख्या 1767 रकबा 0.14 है., आराजी संख्या 1768 रकबा 0.35 है., आराजी संख्या 1769 रकबा 0.35 है., आराजी संख्या 1775 रकबा 0.59 है. भूमि, कुल किता 6 रकबा 1.55 है0. भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप स 1/4 तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने-अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से उसे उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है इसलिये हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। बाद प्रकरण दिनांक 11.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये और विचारण वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से दिनांक 06.11.2017 को वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश दिया गया तथा तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है। अतः

निरन्तर


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

—:आदेश:—

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है।
वादीगण और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 निवासी अडसीपुरा के मध्य संयुक्त
खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. भंवरलाल रतनलाल पिता नानुराम सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
1768	0.35
1767 / 1	0.01
1775 / 1	0.03

कुल किता 3 कुल 0.39 है.

2. भैरू नाथु पिता हीरा 2/3 केशर पत्नी भागीरथ 1/3 सा0 देह खातेदार
रहन बी. ओ. बी शाखा आशाहोली हि. भैरू पर

आ0नं0	रकबा
1765	0.02
1766	0.10
1767 / 2	0.13
1769	0.35
1775 / 2	0.56

कुल किता 5 कुल 1.16 है.

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में
पक्षकारों के पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार
राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार
अपना-अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश लिखवाया जाकर
आज दिनांक 21.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगपुर, भीलवाड़ा (राज.)

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट : न्याय आपके द्वार चीड़खेड़ा
पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-108/2017 रे0वाद
अन्तर्गत धारा:-53 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1. भंवर लाल पिता नानुराम जाट निवासी अडसीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. रतनलाल पिता नानुराम जाट निवासी अडसीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
वादीगण---

बनाम

1. श्री भैरूलाल पिता हीरा जाट निवासी अडसीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्री नाथु पिता हीरा जाट निवासी अडसीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. केशर पत्नि भागीरथ जी जाट निवासी अडसीपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. श्रीमान् बैंक मेनेजर साहब, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा आशाहोली, तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा।
प्रतिवादीगण---

निर्णय

दिनांक: 21.06.2018

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 21.06.2018 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि:-

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 निवासी अडसीपुरा के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. भंवरलाल रतनलाल पिता नानुराम सा0 देह खातेदार	रकबा
आ0नं0	0.35
1768	0.01
1767/1	0.03
1775/1	
कुल किता 3	कुल 0.39 है।

निरन्तर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज)

2. भैरू नाथु पिता हीरा 2/3 केशर पत्नी भागीरथ 1/3 सा0 देह खातेदार
रहन बी. ओ. बी शाखा आशाहोली हि. भैरू पर

आ0नं0	रकबा
1765	0.02
1766	0.10
1767/2	0.13
1769	0.35
1775/2	0.56
कुल किता 5	कुल 1.16 है.

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्-पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (राज.)

डिक्री आज दिनांक 21.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला गोलवाड़ा (राज.)

